सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
राज्य परियोजना कार्यालय,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

प्रेषक

राज्य परियोजना निदेशक
सर्व शिक्षा अभियान
लखनऊ।

सेवा में,

बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद।

पत्रांक–बा0शि0/ 1976 /2015–16 दिनांक 21 जुलाई 2015

विषय–लिंग भेद को दूर करनें व बालिकाओ की शिक्षा तथा सशक्तीकरण हेतु किए जाने वाले कार्यों के संबंध में ।

महोदय,

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा 6–14 वय वर्ग के समस्त बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त है परंतु समाज में व्याप्त लिंग भेद के परिणाम स्वरुप बालिकाओं की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है। बालकों की तुलना में बालिकाओं को कम अवसर होनें के कारण बालिकाओं का विकास बाधित होता है। एक बेहतर और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए बालक और बालिका दोनों को शिक्षित होना आवश्यक है। हम सबको मिलकर बालिकाओं को शिक्षित व सशक्त बनानें की दिशा में सकारात्मक पहल करनी होगी।

जुलाई 2015 से नवीन शैक्षिक सत्र की शुरुआत हुयी है। इस दौरान नामांकन से छूटे हुए बच्चों को विद्यालय में लानें के लिए नामांकन पखवाड़ा एवं प्रवेश उत्सव मनाये जा रहे है। इसी के साथ आपसे यह अपेक्षा है कि **बालिकाओं को विद्यालय में नामांकित करनें तथा विद्यालय में उनकी निरंतरता बनाये रखनें व उनके संपूर्ण विकास के लिए** निम्नवत् प्रभावी कदम उठाये जाये ताकि कोई भी बालिका विद्यालयी शिक्षा से वंचित न रहे–

1. **लिंग –भेद पर चर्चा–**

बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन व ठहराव प्रभावित करनें के कई कारण है। समाज में उनके प्रति भेदभाव पूर्ण रवैया के साथ ही विद्यालय का वातावरण भी कभी कभी उन्हे असहज बना देता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि **पढ़ाई के दौरान, कक्षा कक्ष में, स्कूल की गतिविधियों में, खेलकूद में, पाठ्य सहगामी कियाओं में, मिड–डे–मील के दौरान, शौचालय के प्रयोग में तथा शिक्षक के व्यवहार** में किसी भी प्रकार से भेद भाव अथवा पूर्वाग्रह परिलक्षित न हो। सभी स्तर पर बालिकाओं की समान भागीदारी हो। साथ ही बालको के साथ भी लिंग भेद के मुद्दों पर चर्चा कर उन्हे संवेदनशील व जागरुक बनाया जाये। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देते हुए निम्नवत् बिंदुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करायें–

- जनपद, ब्लॉक क्लस्टर एवं विद्यालय स्तर पर होनें वाली समस्त बैठकों एवं कार्यशालाओं में लिंग भेद को समाप्त करनें सम्बंधी बिंदुओं पर चर्चा के लिए एजेंडा में जोड़ें जायें । बैठक में बालिका शिक्षा की बाधाओं को चिंहित कर उन बाधाओं को दूर करनें के उपाय किये जायें।

Phones : 2780995, 2781315 Fax : 0522-2782715, 2781123, 781128 E-mail : updpep@sancharnet.in; upefa@upefa.com; upedulko@eth.n

- जनपद के अति पिछड़े क्षेत्रों, अनुसूचित जाति/ जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय, अपवचित समुदाय की बालिकाओं की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किये जायें।
- ऐसे क्षेत्रों का चिंहांकन किया जाये जहां पर विद्यालय में बालिकाओ का नामांकन अथवा ठहराव कम है तथा ठोस रणनीति बनाकर लगाातार प्रयास करते हुए बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करनें की मुहिम चलायी जाये। इस मुहिम में स्थानीय स्तर के जागरुक व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों, धार्मिक नेताओं, एनजीओ, कारपोरेट व मीडिया का सहयोग लिया जाये।
- ब्लॉक स्तर पर एक सहायक समन्वयक को बालिका शिक्षा कार्यक्रम के नोडल के रुप में नामित किया जाये जो तत्सम्बंधी गतिविधियों का कियान्वयन, अनुश्रवण करें।
- स्थानीय एनजीओ, मीडिया आदि का सहयोग लेकर बालिका शिक्षा के पक्ष में सकारात्मक प्रचार–प्रसार हो। बालिका मैत्रिक समाज व विद्यालय के निर्माण पर चर्चा हो।

2. <u>उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा के.जी.बी.वी. में मीना मंचो का पुनर्गठन–</u>

बालिकाओं में नेतृत्व तथा अभिव्यक्ति की क्षमता संवर्द्धन करने तथा विभिन्न कौशलों को विकसित करने हेतु उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मीना मंच गठित किये गये हैं। विगत वर्षों में मीना मंचों के माध्यम से बालिकाओं में न केवल जागरूकता आई अपितु विद्यालय स्तर के अनेक आयोजनों में उनकी सहभागिता बढ़ी है। इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए विगत वर्षों के निर्देशों के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयो तथा केजीबीवी में मीना मंचों का पुनर्गठन कर उन्हें सशक्त बनाया जाये।

- प्रत्येक शनिवार की अपराह्न मीना सभा आयोजित की जाये जिसमें बालिकाओं की शिक्षा व सशक्तीकरण से सम्बन्धित स्थानीय मुद्दों विचार– विमर्श किया जाये।
- यह सुनिश्चित किया जाये कि मीना मंचों की बैठक नियमित तथा निर्धारित तिथियों में हो। समस्त कार्यवाही को रजिस्टर में अंकन करें
- वर्ष में दो बार अगस्त तथा जनवरी में मीना पंचायत हो जिसमें मीना मंच के समस्त बच्चे प्रतिभाग करें।कार्यवृत्त रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।
- प्रत्येक वर्ष 24 सितम्बर को मीना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अतः इस दिवस पर मीना मंच की बालिकाओं द्वारा विद्यालयों में मीना दिवस को उत्सव के रूप में मनाये।
- मीना मंच की गतिविधियों को संचालित करनें के लिए विद्यालय की एक अध्यापिका को सुगमकर्ता के रुप में नामित किया जाये। विद्यालय में महिला अध्यापिका न होनें की दशा में सक्रिय पुरुष अध्यापक का चयन किया जाये। सुगमकर्ता का यह दायित्व होगा कि <u>**वह मीना मंच सम्बंधी समस्त गतिविधियों का आयोजन कराये, कार्यकम का दस्तावेजीकरण करे । मीना मंच की गतिविधियों में प्रतिभाग करनें से बच्चों में, विद्यालय मे तथा समाज मे क्या क्या बदलाव आये**</u> इसका भी विवरण तैयार किया जाये।

3. <u>एस0एम0सी0 की मासिक बैठकों में चर्चा–</u>

- एस0एम0सी0 की प्रत्येक माह की बैठक में बालिकाओं की नियमित उपस्थिति पर चर्चा की जाये तथा यदि कोई बालिका विद्यालय में अनुपस्थित रहती है तो उसे चिंहित किया जाये ।गत माह विद्यालय में अनुपस्थित बालिकाओं की सूची तैयार कर उन्हें प्रतिदिन विद्यालय लाने के लिए अभिभावकों से सम्पर्क करने की जिम्मेदारी एस0एम0सी0 सदस्यों/ मीना मंच को दी जाये।
- यह भी चर्चा हो कि विद्यालय में बालिकाओं के लिए उपलब्ध संसाधन यथा– शौचालयों में पानी आदि का उचित प्रबन्ध है अथवा नहीं।
- प्रत्येक बैठक में शिकायत /सुझाव पेटिका खोली जाये व उसमें आये सुझावों /शिकायतों को पढ़ कर उस पर कार्यवाही की जाये। बैठक का कार्यवृत्त रजिस्टर में लिखा जाये। बच्चों व समुदाय को शिकायत एवं सुझाव लिखकर पेटिका में डालने के लिए प्रेरित करें।

- एस0एम0सी0 यह घोषणा करें कि उसका विद्यालय बालिकाओं के लिए हर प्रकार से सुरक्षित है। विद्यालय को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव आमंत्रित किये जायें।

- बालिकाओं को **गुड टच, बैड टच** क्या है ? तथा किन–किन परिस्थितियों में किसकी सहायता ले ? इस विषय पर प्रशिक्षण हो तथा विद्यालय की दीवार पर आवश्यक जानकारियां यथा– हेल्पलाइन नम्बर आदि अंकित किये जाये। एस0एम0सी0 के सदस्य समुदाय के सहयोग से बालिका शिक्षा से सम्बन्धित स्लोगन गॉव की दीवारों पर लिखवाएं।

- नियमित विद्यालय आने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रार्थना सभा में उनके नाम पढ़ कर तालियां बजवाये साथ ही विद्यालय के बच्चे रैली एवं बाजे के साथ उनके घरों में जाकर अभिभावकों को सम्मानित करें।

- **निम्नलिखित बिन्दुओं को एस0एम0सी0 अनिवार्य रूप से विद्यालय का अनुश्रवण करें–**

  ★ एस0एम0सी0 की महिला सदस्य बारी–बारी से विद्यालय का भ्रमण करें तथा बालिकाओं की सुरक्षा के बिन्दुओं पर अनुश्रवण करें।

  ★ एस0एम0सी0 के सदस्य यह भी देखे कि विद्यालय आते समय बालिकाओं के साथ रास्ते में किसी प्रकार की छेड–छाड़ व दुर्व्यहार न हो।

  ★ विद्यालय अथवा अध्यापक बच्चों को सहज एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करा रहे हैं अथवा नहीं। शैक्षिक भ्रमण के दौरान एस0एम0सी0 की महिला सदस्य भी जाय।

  ★ विद्यालय के अन्दर एवं आस–पास नशे से सम्बन्धित जैसे– तम्बाकू,गुटका आदि की दुकाने न हो तथा न ही बच्चों द्वारा इसका सेवन किया जाय।

  ★ एस0एम0सी0 के सदस्यों को इस विषय में प्रशिक्षित किया जाय कि जो बालिकाएं विद्यालय नहीं आ रही हैं वे उनके विद्यालय न आने के कारणों को समझे तथा यह भी जानने का प्रयास करें कि क्या वह बच्चा किसी प्रकार के शोषण का शिकार तो नहीं है।

  ★ एस0एम0सी0 के सदस्य वर्ष में एक बार वार्षिक सुरक्षा अंकेक्षण करें जिसमें विद्यालय की भौतिक Psychosomatic Environment आदि विषय सम्मिलित हों।

  ★ विद्यालय में बच्चे अपनी समस्याओं तथा शिकायतों को खुलकर व्यक्त कर सके इसके लिए **ड्राप बाक्स** रखे जाय तथा बच्चों को अपनी बात खुलकर व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाय।

4. **विद्यालय में बालिकाओं की सुरक्षा के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय–**

- विद्यालय का भवन सुरक्षित हो। खेल का मैदान विद्यालय के आस–पास का वातावरण, बच्चों के सहज एवं बालिकाओं के लिए सुरक्षित होना चाहिए। यह देखा जाय कि बड़ी बालिकाओं को विद्यालय आने में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े।

- स्कूल में पानी साफ हो, शौचालय प्रयोग योग्य हो, बच्चों को किसी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना आदि के लिए प्रशिक्षित किया जाय। विद्यालय को सुरक्षित रखने के लिए चहारदीवारी हो। विद्यालय के अन्दर अथवा विद्यालय के आस–पास असामाजिक गतिविधि न हो। अध्यापक यह निगरानी करें कि बच्चों द्वारा विद्यालय परिसर में किसी प्रकार का नशा न किया जाय।

- बाल अधिकारों के ऊपर लगातार अध्यापकतथा हेड मास्टर को प्रशिक्षित एवं संवेदित किया जाय साथ ही रेडक्रास, आपदा प्रबन्धन अथॉरिटी, एस0सी0पी0सी0आर0 एवं एन0जी0ओ आदि के साथ कन्वर्जन किये जाय।

- बच्चों द्वारा एक्सपोजर विजिट के दौरान पर्याप्त सुरक्षा के प्रबन्ध किये जाय साथ ही एक महिला अध्यापिका अनिवार्य रूप से बच्चों के साथ रहे।
- यह देखा गया है कि प्रायः बड़ी बालिकाएं विद्यालय आने में असहज महसूस करती हैं। विद्यालय यह देखे कि बालिकाओं के साथ किसी प्रकार की छेड़–छाड़ आदि की घटना न हो। विद्यालय बच्चों को इस सम्बन्ध में जागरूक करे तथा इस प्रकार की हिंसा की शिकार होने पर अपनी बात रखने पर प्रोत्साहित करें।
- विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्य नियमित रूप से विद्यालय का भ्रमण करें तथा इस बात की निगरानी करें कि विद्यालय उनके बच्चों विशेष कर बालिकाओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है।

यह कार्यक्रम समयबद्ध है अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि क्रियान्वयन निर्देशानुसार तत्काल करायें तथा कृत कार्यवाही की आख्या संलग्न प्रपत्र पर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक राज्य परियोजना कार्यालय को हार्ड व सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित करनें का कष्ट करें।

संलग्नक– उक्तवत्

भवदीया,

(शीतल वर्मा)

राज्य परियोजना निदेशक

पृष्ठांकन संख्या बा0शि/1976/2015–16 लखनऊ, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नवत् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी समस्त जनपद।
2. अध्यक्ष, एससीपीसीआर,बी–603, सीएसआई टॉवर, गोमतीनगर, उत्तर प्रदेश।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, समस्त मण्डल।
4. जिला समन्वयक, बालिका शिक्षा समस्त परियोजना जनपद।

(शीतल वर्मा)

राज्य परियोजना निदेशक

बिंदु संख्या 3–एस0एम0सी0 की मासिक बैठकों में चर्चा–

कितनें विद्यालयों में शिकायत /सुझाव पेटिका रखी गयी है	कितनें विद्यालयो में एसएमसी की महिला प्रतिनिधि की उपस्थिति मे शिकायत /सुझाव पेटिका खोलकर उसपर कार्यवाही की गयी –कुछ साक्ष्य संलग्न करें	कितनें विद्यालयो में व कितनी बालिकाओं को गुड टच, बैड टच के संबंध में जागरुक किया गया	कितनें विद्यालयों में दीवार हेल्पलाइन नम्बर आदि अंकित किये गये	एस0एम0सी0 की बैठकों की संख्या	एस0एम0सी0 द्वारा बालिकाओं की शिक्षा व सशक्तीकरण के लिए किये गये कार्य			टिप्पणी
					कितनी अनुपस्थित बालिकाओं को चिंहित किया गया	चिंहित अनुपस्थित बालिकाओं में से कितनी बालिकाओं को नियमित किया जा सका	अन्य कार्य	

बिंदु संख्या 4–विद्यालय में बालिकाओं की सुरक्षा के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय–

विद्यालय में बालिकाओं की सुरक्षा के सम्बन्ध में क्या क्या कदम उठाये गये		क्या सकारात्मक बदलाव हुए – साक्ष्य सहित	टिप्पणी
कार्य	कितने विद्यालयों में		

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर

जिला समन्वयक बालिका शिक्षा का नाम व हस्ताक्षर

अनुश्रवण प्रपत्र

बालिका शिक्षा एवं सशक्तीकरण के लिए किये गये कार्य

जनपद का नाम–

माह–

बिंदु संख्या 1–

1.1 लिंग –भेद पर चर्चा के संबंध में की गयी कार्यवाही

बैठको का विवरण	कुल बैठकों की संख्या	तिथि	किन–किन लोगों ने प्रतिभाग किया	बैठक में उभरे मुख्य मुद्दे	कार्यवाही	टिप्पणी
जनपद स्तरीय						
ब्लॉक स्तरीय						
क्लस्टर स्तरीय						

1.2 ब्लॉक स्तर पर चयनित नोडल सहायक समन्वयक का ब्लॉकवार नाम व मो0नं0–

बिंदु संख्या 2–उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा केजीबीवी में मीना मंचो का पुनर्गठन–

कुल उच्च प्रा. वि व केजीबीवी की संख्या	कुल गठित मीना मंचों की संख्या	चयनित सुगमकर्ता ओं की संख्या	कितनें मीना मंच कक्ष विकसित किये गये हैं	मंच के सदस्यों का विवरण – कितनें बालक व कितनी बालिकाएं	प्रत्एक माह में मंच द्वारा की गयी गतिविधियां			
					कितनी सभाएं हुयी	सभाओं मे किन– किन बिंदुओं व मुद्दों पर चर्चा हुयी	बच्चों में किस प्रकार के बदलाव हुए – कुछ उदाहरण व फोटोग्राफ, केस स्टडी संलग्न करे	मीना पंचायत